THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) and (b). The Study on "Trends in Concentration in India (Economic & Business power)" brought out by the Indian Institute of Public Administration has discussed the trends, some concepts and issues relating to concentration of economic power in the context of the relevant provisions of the M.R.T.P. Act, 1969, and in particular suggested changes in the criteria for examining the inter-connections of undertakings to enlarge its scope. The study also deals with the growth of top two houses in the country. The Report also suggests the appointment of a Committee of Experts to review the composition of Houses every five years

In this connection it is stated that the Government is already in the process of considering the recommendations of the High Powered Expert Committee under the Chairmanship of Shri Justice Rajindar Sachar which submitted its report in August 1978 recommending changes in the M.R.T.P Act, to make it more effective. The suggestions contained in the study of IIPA. will be kept in view while considering the recommendations of the Expert Committee.

उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ी हुई दरें

302. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में बिजली की दरों में वृद्धि की है और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कृषि के कार्यों के लिए सप्लाई की जा रही बिजली की दरों में वृद्धि न करने के लिए राज्य सरकार को कहने का है; और

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें अन्य राज्यों की दरों की तुलना में पहले से ही अधिक हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। प्रचालन की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने दिनांक 1-6-1979 से बिजली की दरें बढ़ा दी हैं, किन्तु निजी नलकूपों पम्पिंग सेटों और लिफ्ट, सिंचाई पम्पित नहरों समेत राज्य के नलकूपों को दी जाने वाली सप्लाई के बारे में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

राज्य बिजली बोर्डों के कार्यों का विनियमन विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार होना है। राज्य विद्युत बोर्ड इस बात के लिए सक्षम है कि वे अपने उपभोक्ताओं को सप्लाई की जाने वाली विद्युत की टैरिफ का निर्धारण कर सकें और उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपना कार्य संचालन इस प्रकार करें कि राजस्व पर प्रभार्य सभी खर्चे का पूरा करके वे अधिशेष उपार्जित कर सकें। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि, हाल ही में हुए संशोधन में, उत्तर प्रदेश में कृषि की दरें नहीं बढ़ाई गई है, केन्द्रीय सरकार यह उचित नहीं समझती कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ लिखा जाए।

(ख) कृषि उपभोक्ताओं के लिए राज्य वार औसत दरों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है। इससे यह देखा जा सकता है उत्तर प्रदेश में कृषि की दरें ऊंची नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों की दरों के बराबर है।

विवरण

कृषि के लिए 10 हार्स पावर 15 प्रतिशत भार अनुपात (817 यूनिट, एम० यू०) के लिए प्रति यूनिट पैसों में राज्यवार दर दिखाने वाला विवरण-1-6-1979 की स्थिति के अनुसार

क्रम संख्या	राज्य का नाम	औसत दर (पैसों में)
1	आन्ध्र प्रदेश	17.22
2	असम	21.00
3	बिहार	7.15
4	गुजरात	25.14
5	हरियाणा	22.45
6	हिमाचल प्रदेश	10.00
7	जम्मू और कश्मीर	11.50
8	कर्नाटक	22.51
9	केरल	12.34

क्रम सं०	राज्य का नाम	औसत दर पैसों में
10	मध्य प्रदेश	16 00
11	महाराष्ट्र*	22 00
12	मेघालय	14.00
13	उड़ीसा*	17.50
14	पंजाब	12.50
15	राजस्थान	21.00
16	तमिलनाडु	14.61
17	उत्तर प्रदेश	14.69
18	पश्चिम बंगाल	41.00

नोट : उपर्युक्त दरों में बिजली शुल्क शामिल है।

*ईंधन अधिभार इसमें शामिल नहीं है।

Review of Electoral Rolls

303. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to review the electoral rolls in the country which are very defective and if so, the details thereof;

(b) whether it is a fact that most of the electoral rolls contain names of those persons also who have either left the country or have died; and

(c) the measures being taken by Government for deleting the names of foreigners from electoral rolls?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) There is, at present no proposal under the consideration of the Election Commission to revise the electoral rolls throughout the country, except in States where elections to the Legislative Assemblies are due in 1979 and 1980. However, the Commission propose to undertake intensive revision of the rolls before the next General Elections. The intensive revision of the electoral rolls will be done by house to house enumeration, allowing sufficient time for filling claims and objections and proper disposal of claims and objections after on-the-spot verification.

(b) In the absence of specific complaints, it is not possible to say whether the electoral rolls contain names of persons who had left the country or who are dead. It is, however, possible that the names of some voters who have died or of those who have left the places of their ordinary residence, might have continued in the electoral rolls inspite of the best efforts to maintain electoral rolls up-to-date.

(c) The question of laying down clear guidelines for the determination of citizenship of persons seeking enrolment in the electoral rolls and of setting up the necessary administrative machinery for deciding cases of persons whose citizenship is doubtful, is under consideration of the Government.

हिन्दी पाक्षिक पत्र आकाशवाणी में दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रकाशित न किया जाना

304. श्री एस० एस० सोमानी :

श्री छीतू भाई गामित :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी पाक्षिक पत्र 'आकाशवाणी' में दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है ;